न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30/2018 राजस्व अपील

1. जगदीश
2. किलाण
पिसरान गंगाधर जाति गुर्जर निवासी शेखपुरा उप तहसील बडियाल कला तहसील बसवा — अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार बडियाल कलां तहसील बसवा दिनांक 21.02.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम जगदीश मु.न. 05/2017 अ.धारा 91 रा. लैण्ड. रै0ए0।

उपस्थिति : श्री सीताराम दायमा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :– दिनांक: 17.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 216, 217, 569 कुल रकबा 20.39 है0 मे से 0.94 है0 पर गेहू, सरसो की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 21.02.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 21.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने निवेदन किया की अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 216, 217, 569 कुल रकबा 20.39 है0 मे से 0.94 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया है एवं वर्तमान में सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। साथ ही अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया की अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.02.2018 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा संवत 2074 में ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 216, 217, 569 कुल रकबा 20.39 है0 मे से 0.94 है0 पर गेहू, सरसो की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 21.02.2018 के द्वारा अपीलान्ट्स अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर से अतिकमण हटा लिया गया है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही किया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 216, 217, 569 कुल रकबा 20.39 है0 मे से 0.94 है0 पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार बडियाल कलां द्वारा सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.02.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा